विवरण पुस्तिका

2022-23

कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट

स्वशासी, आवासीय कन्या महाविद्यालय

नेक द्वारा बी ग्रेड से मानकीकृत

अनुक्रमणिका

क.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	महाविद्यालय परिचय	
2	अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण	
3	पाठ्यक्रम विवरण (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार)	
4	प्रवेश प्रक्रिया	
5	शुल्क विवरण	
6	छात्रवृत्ति विवरण	
7	विभागीय जानकारी	
8	संस्था संबंधी नियम	
9	महाविद्यालयीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग	
10	प्रवेश आवेदन प्रपत्र	
11	आचरण संहिता	

महाविद्यालय परिचय

इन्दौर शहर के कोलाहल से दूर सुरम्य पहाड़ियों के मध्य, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के पवित्र पावन परिसर में स्थित ट्रस्ट की एक इकाई कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट, उच्च शिक्षा की एक अनूठी विशिष्ट संस्था है। मध्यप्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में संभवतः एक अकेली शिक्षण संस्था है, जिसमें उच्च शिक्षा को सीधे पाठ्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण विकास के साथ जोड़कर उच्च शिक्षा को सार्थक बनाया गया है।

आजादी के पश्चात् भारत के ग्रामीण परिवेश व उनकी आवश्यकताओं को केन्द्र में रखकर सर्वप्रथम 1948 में एक शिक्षा समिति गठित हुई थी। इस शिक्षा समिति के अध्यक्ष महान शिक्षक शिक्षाशास्त्री व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस समिति के द्वारा 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी और यह आकांक्षा रखी गई कि हमारी उच्च शिक्षा ग्रामीण समस्याओं का हल करने वाली बने। इस सिफारिश के आधार पर प्राथमिक तौर पर समुचे भारत में सन् 1956 से 1963 तक कुल 14 रूरल इन्स्टीट्यूट (ग्रामीण संस्थान) स्थापित किए गए। प्रथम रूरल इन्स्टीट्यूट तमिलनाडु राज्य के मदुराई के पास प्रारंभ किया गया, जो आज एक ग्रामीण विश्वविद्यालय है और रूरल इन्स्टीट्यूट मात्र छात्राओं के लिये कस्तूरबाग्राम इन्दौर म.प्र. में स्थापित किया गया।

भारत सरकार की तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. श्रीमती सौंदरम रामचंद्रन ने मध्यप्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा को परामर्श दिया गया कि म.प्र. में कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट की स्थापना कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अभिभावकत्व में कस्तूरबाग्राम इन्दौर में की जाये, जो ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिये समर्पित है। अतः भारत सरकार, म.प्र. सरकार व कस्तूरबा ट्रस्ट के मिले–जुले प्रयासों से इस संस्था की नीव 23 जुलाई 1963 को रखी गई।

कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट इन्दौर से 8 किलोमीटर की दूरी पर इन्दौर–खण्डवा रोड़ पर स्थित है जो कि 450 एकड़ के विस्तृत परिसर में फैले कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की एक महत्तवपूर्ण शैक्षणिक इकाई के रूप में संचालित है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की अन्य इकाईयां भी इसी परिसर का अंग है जैसे – कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट प्रधान कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि क्षेत्र एवं गौशाला, कन्या विद्या मंदिर, अरोग्य सदन, आरोग्य सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय, असहाय बहनों के लिये बा का घर, कताई–बुनाई एवं बिक्री केन्द्र।

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास, अतः ग्रामोन्मुखी उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया गया है। कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय एवं गृह विज्ञान संकाय विषयों के साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं प्रसार विषय को सर्वाधिक महत्व दिया गया है व इसे अनिवार्य बनाया गया है। ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल विभिन्न विषयों की शिक्षा का प्रसार ग्रामीण जन–जन तक होने के लिये प्रसार कार्य एक सशक्त माध्यम है।

23 जुलाई 2013 को 50 वर्ष पूर्ण कर संस्था स्वर्ण जयंती मना कर निरंतर विकास की ओर एक अडिग विश्वास के साथ अग्रसर हो रही है। इसके अच्छे व बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इस संस्था के माध्यम से शिक्षित, प्रशिक्षित, संस्कारित व सशक्त ग्रामीण युवतियां तैयार हुई है। इन ग्रामीण युवतियों के माध्यम से वृहद् ग्रामीण समाज में परिवर्तन व विकास निश्चित है। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरा परिवार व गांव शिक्षित होता है। हम एक छात्रा के माध्यम से पूरे गांव तक पहुंचते हैं। इस प्रकार संस्था का संबंध कई गांवों से जुड़ता है।

संस्था की इसी विशिष्टता के आधार पर यह संस्था–(1) सन् 1969 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध हुई। (2) 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्था को म.प्र. का महिला स्वशासी महाविद्यालय घोषित किया। स्वशासी दर्जे के अंतर्गत इस संस्था ने उत्तरोत्तर अपने गंतव्य की ओर प्रगति की। (3) पाठ्यक्रम लचीला तथा ग्रामीण छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुकूल व रोजगार उन्मुख बनाने का सतत् प्रयास किया है। (4) वर्ष 2004 में यह संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा **B+** श्रेणी से मानकीकृत हुई। (5) वर्ष 2014 में संस्था पुनः राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा **B** श्रेणी से मानकीकृत हुई।

सुविधाएं–

- उच्च संस्थानों में प्लेसमेंट।
- मितव्ययी एवं सुरक्षित छात्रावास।
- खेल गतिविधियों हेतु खेल मैदान।
- शिक्षण की उत्तम व्यवस्था के साथ आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण व्यवस्था।
- पाठ्यपुस्तकें एवं संदर्भग्रंथ।
- छात्रवृत्ति सुविधा।
- रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण।

पाठ्यक्रम विवरण

स्नातक पाठ्यक्रम (बी.ए./बी.कॉम./बी.एच.एससी. /बी.एससी.–बायो)

- कला संकाय
- वाणिज्य संकाय (कम्प्यूटर)
- गृहविज्ञान संकाय
- विज्ञान संकाय (जीवविज्ञान, रसायन, प्राणीशास्त्र)

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.ए.)

- ग्रामीण विकास एवं प्रसार
- समाजशास्त्र

अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवीन अकादमिक संरचना निम्नानुसार होगी–

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक विद्यार्थी को एक संकाय का चयन करना होगा। इस चुनाव के लिये संकाय विशेष के संदर्भ में पूर्व पात्रता निर्धारित (Pre Requisite) है।

1. मुख्य विषय (Major Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित अपने संकाय से एक मुख्य (Major) विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी के द्वारा लिये गये तीन विषयों में से एक विषय वह मुख्य विषय के रूप में पढेगा। मुख्य विषय के दो प्रश्नपत्र होंगे। भविष्य में स्नातकोत्तर रिने के लिए वह इस मुख्य विषय में पात्र होगा। अतः मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी को आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पालक अभिभावक से विचार विमर्श करके ही चयन करना चाहिए।

2. गौण विषय (Minor Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित (मूल) संकाय से ही गौण (Minor) विषय चयन करना अनिवार्य होगा। मुख्य विषय के चयन के पश्चात् शेष दो विषय में से अपने ही संकाय के एक विषय का चयन गौण या माइनर विषय के रूप में करना है। गौण विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा।

3. वैकल्पिक विषय (Open Elective Subject)

मुख्य एवं गौण विषय चयन के पश्चात् अपने संकाय से जो तीसरा विषय शेष बचा है उसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें। वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिये संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा। यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय का वैकल्पिक विषय नहीं पढ़ना चाहता है तो विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है।

विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य या गौण विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय को चुनने की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों की सूची में से विद्यार्थी अपनी रूचि एवं योग्यता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में एन.एस.एस. एवं शारीरिक शिक्षा का भी चयन कर सकता है।

पाठ्यक्रम विवरण तालिका : सत्र 2022–23

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इंदौर

कला संकाय – प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष

कला संकाय प्रथम वर्ष	मेजर	माईनर	ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन	अनिवार्य विषय	सर्टिफिकेट कोर्स	प्रोजेक्ट वर्क
मेजर – 1	1. समाजशास्त्र –I 2. राजनीति विज्ञान –I 3. हिन्दी साहित्य –I 4. अंग्रेजी साहित्य –I 5. अर्थशास्त्र –I	1. समाजशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. अर्थशास्त्र 4. हिन्दी साहित्य 5. अंग्रेजी साहित्य	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. हस्तशिल्प 2. जैविक खेती 3. वर्मी कम्पोस्ट 4. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पर्यावरण 4. योग एवं ध्यान	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी 5. खाद्य परिरक्षण	प्रोजेक्ट
मेजर – 2	1. समाजशास्त्र –II 2. राजनीति विज्ञान –II 3. हिन्दी साहित्य –II 4. अंग्रेजी साहित्य –II 5. अर्थशास्त्र –II	–	–	–	–	–	–
कला संकाय द्वितीय वर्ष	**मेजर**	**माईनर**	**ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)**	**व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन**	**अनिवार्य विषय**	**सर्टिफिकेट कोर्स**	**सामुदायिक जुड़ाव**
मेजर – 1	1. समाजशास्त्र –I 2. राजनीति विज्ञान –I 3. हिन्दी साहित्य –I 4. अंग्रेजी साहित्य –I 5. अर्थशास्त्र –I	1. समाजशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. अर्थशास्त्र 4. हिन्दी साहित्य 5. अंग्रेजी साहित्य	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. वर्मी कम्पोस्ट 2. जैविक खेती 3. औषधीय पौधे 4. व्यक्तित्व विकास 5. डेयरी प्रबंधन 6. खाद्य संरक्षण 7. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता 4. महिला सशक्तिकरण	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी	सामुदायिक जुड़ाव
मेजर – 2	1. समाजशास्त्र –II 2. राजनीति विज्ञान –II 3. हिन्दी साहित्य –II 4 अंग्रेजी साहित्य –II 5. अर्थशास्त्र –II	–	–	–	–	–	–

वाणिज्य संकाय (कम्प्यूटर) – प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष

वाणिज्य संकाय प्रथम वर्ष	मेजर	माईनर	ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन	अनिवार्य विषय	सर्टिफिकेट कोर्स	प्रोजेक्ट वर्क
मेजर – 1	1. फायनेंसियल अकाउंटिंग	1. व्यावसायिक संगठन एवं संचार	1. बिजनैस मैथ्स 2. भारत में बैंकिंग संस्था 3. कम्प्यूटर फंडामेंटल 4. मुद्रा एवं बैंकिंग 5. शारीरिक शिक्षा	1. हस्तशिल्प 2. जैविक खेती 3. वर्मी कम्पोस्ट 4. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पर्यावरण 4. योग एवं ध्यान	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी	प्रोजेक्ट
मेजर – 2	2. बिजनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क	––	––	––	––	––	––
वाणिज्य संकाय द्वितीय वर्ष	**मेजर**	**माईनर**	**ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)**	**व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन**	**अनिवार्य विषय**	**सर्टिफिकेट कोर्स**	**सामुदायिक जुड़ाव**
मेजर – 1	1. फायनेंसियल अकाउंटिंग	1. व्यावसायिक संगठन एवं संचार	1. बिजनैस मैथ्स 2. भारत में बैंकिंग संस्था 3. कम्प्यूटर फंडामेंटल 4. मुद्रा एवं बैंकिंग 5. शारीरिक शिक्षा	1. वर्मी कम्पोस्ट 2. जैविक खेती 3. औषधीय पौधे 4. व्यक्तित्व विकास 5. डेयरी प्रबंधन 6. खाद्य संरक्षण 7. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता 4. महिला सशक्तिकरण	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी 5. खाद्य परिरक्षण	प्रोजेक्ट
मेजर – 2	1. बिजनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क	––	––	––	––	––	––

विज्ञान संकाय (बायोलॉजी) – प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष

विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष	मेजर	माईनर	ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन	अनिवार्य विषय	सर्टिफिकेट कोर्स	प्रोजेक्ट वर्क
मेजर – 1 मेजर – 2	1. रसायनशास्त्र 2. वनस्पतिशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र	1. रसायनशास्त्र 2. वनस्पतिशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. हस्तशिल्प 2. जैविक खेती 3. वर्मी कम्पोस्ट 4. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पर्यावरण 4. योग एवं ध्यान	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. योग 5. खाद्य परिरक्षण	प्रोजेक्ट
विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष	**मेजर**	**माईनर**	**ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)**	**व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन**	**अनिवार्य विषय**	**सर्टिफिकेट कोर्स**	**समुदायिक जुड़ाव**
मेजर – 1 मेजर – 2	1. रसायनशास्त्र 2. वनस्पतिशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र	1. रसायनशास्त्र 2. वनस्पतिशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. वर्मी कम्पोस्ट 2. जैविक खेती 3. औषधीय पौधे 4. व्यक्तित्व विकास 5. डेयरी प्रबंधन 6. खाद्य संरक्षण 7. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 6. हिन्दी 7. अंग्रेजी 8. स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता 9. महिला सशक्तिकरण	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी	सामुदायिक जुड़ाव

गृहविज्ञान संकाय – प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष

गृहविज्ञान संकाय प्रथम वर्ष	मेजर	माईनर	ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन	अनिवार्य विषय	सर्टिफिकेट कोर्स	प्रोजेक्ट वर्क
मेजर – 1	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. जीवनकाल का विकास 3. आहार एवं पोषण 4. मानव शरीर क्रिया विज्ञान	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. वस्त्र विज्ञान के आधार 3. पारिवारिक संसाधन प्रबंध	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. हस्तशिल्प 2. जैविक खेती 3. वर्मी कम्पोस्ट 4. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पर्यावरण 4. योग एवं ध्यान	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. योग 5. खाद्य परिरक्षण	प्रोजेक्ट
मेजर – 2	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. जीवनकाल का विकास 3. आहार एवं पोषण 4. मानव शरीर क्रिया विज्ञान	—	—	—	—	—	—
गृहविज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष	**मेजर**	**माईनर**	**ओपन इलेक्टिव (वैकल्पिक)**	**व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन**	**अनिवार्य विषय**	**सर्टिफिकेट कोर्स**	**सामुदायिक जुड़ाव**
मेजर – 1	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. जीवनकाल का विकास 3. आहार एवं पोषण 4. मानव शरीर क्रिया विज्ञान	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. वस्त्र विज्ञान के आधार 3. पारिवारिक संसाधन प्रबंध	1. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 2. प्राथमिक उपचार 3. रंगाई एवं छपाई 4. म.प्र. में लोकनृत्यों का सामान्य परिचय 5. नर्सरी प्रबंधन 6. शारीरिक शिक्षा 7. राष्ट्रीय सेवा योजना	1. वर्मी कम्पोस्ट 2. जैविक खेती 3. औषधीय पौधे 4. व्यक्तित्व विकास 5. डेयरी प्रबंधन 6. खाद्य संरक्षण 7. बागवानी	आधारभूत पाठ्यक्रम 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता 4. महिला सशक्तिकरण	1. गांधीविचार धारा एवं ग्राम स्वराज 2. ग्रामीण विकास एवं प्रसार 3. सिलाई तकनीक 4. व्यवहारिक भौतिकी	सामुदायिक जुड़ाव
मेजर – 2	1. प्रसार एवं संचार का परिचय 2. जीवनकाल का विकास 3. आहार एवं पोषण 4. मानव शरीर क्रिया विज्ञान	—	—	—	—	—	—

तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम विवरण तालिका

कला संकाय तृतीय वर्ष	वाणिज्य संकाय तृतीय वर्ष	विज्ञान संकाय तृतीय वर्ष	गृहविज्ञान संकाय तृतीय वर्ष
आधारभूत पाठ्यक्रम – • हिन्दी भाषा एवं नैतिक मूल्य • अंग्रेजी भाषा • पर्यावरण अध्ययन **अनिवार्य पाठ्यक्रम –** • ग्रामीण विकास एवं प्रसार • आधारभूत कम्प्यूटर **मूल पाठ्यक्रम (वैकल्पिक कोई 2)** • अर्थशास्त्र • समाजशास्त्र • राजनीति विज्ञान • हिन्दी साहित्य • अंग्रेजी साहित्य **व्यवहारिक पाठ्यक्रम – कोई एक** • शारीरिक शिक्षा एवं योग • पत्रकारिता • पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान • खाद्य परीरक्षण • हस्तकला • व्यवहारिक भौतिकी • सिलाई तकनीक	**आधारभूत पाठ्यक्रम –** • हिन्दी भाषा एवं नैतिक मूल्य • अंग्रेजी भाषा • पर्यावरण अध्ययन **अनिवार्य पाठ्यक्रम –** • ग्रामीण विकास एवं प्रसार **मूल पाठ्यक्रम** **लेखा समूह–** • आयकर विधि एवं व्यवहार • वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क **प्रबंध समूह–** • अंकेक्षण • प्रबंधकीय लेखांकन **कम्प्यूटर एप्लीकेशन–** • वेब डिजाइनिंग • डिजिटल मार्केटिंग	**आधारभूत पाठ्यक्रम –** • हिन्दी भाषा एवं नैतिक मूल्य • अंग्रेजी भाषा • पर्यावरण अध्ययन **अनिवार्य पाठ्यक्रम –** • ग्रामीण विकास एवं प्रसार **मूल पाठ्यक्रम** **रसायनशास्त्र–** • भौतिक रसायन • अकार्बनिक रसायन • कार्बनिक रसायन **प्राणीशास्त्र–** • प्राणीशास्त्र प्रथम • प्राणीशास्त्र द्वितीय **वनस्पतिशास्त्र–** • वनस्पतिशास्त्र प्रथम • वनस्पतिशास्त्र द्वितीय	**आधारभूत पाठ्यक्रम –** • हिन्दी भाषा एवं नैतिक मूल्य • अंग्रेजी भाषा • पर्यावरण अध्ययन **अनिवार्य पाठ्यक्रम –** • ग्रामीण विकास एवं प्रसार • कम्प्यूटर विज्ञान **मूल पाठ्यक्रम –** • पोषणिक जीव रसायन • आवास एवं आंतरिक सज्जा • परिधान निर्माण • किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था • उपचारात्मक पोषण **व्यवहारिक पाठ्यक्रम – कोई एक** • शारीरिक शिक्षा एवं योग • पत्रकारिता • पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान • खाद्य परीरक्षण • हस्तकला • व्यवहारिक भौतिकी • सिलाई तकनीक

स्नातकोत्तर (एम.ए.) पाठ्यक्रम विवरण

एम.ए. ग्रामीण विकास एवं प्रसार	एम.ए. समाजशास्त्र
प्रथम सेमेस्टर	**प्रथम सेमेस्टर**
• प्रसार शिक्षा के आधारभूत तत्व • भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र • प्रबंधकीय अर्थशास्त्र • कम्प्यूटर के आधारभूत तत्व	• शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परम्परा –I • सामाजिक अनुसंधान का पद्धतिशास्त्र–I • भारत में ग्रामीण समाज–I • भारत में नगरीय समाज–I
द्वितीय सेमेस्टर	**द्वितीय सेमेस्टर**
• ग्रामीण विकास में संचार एवं प्रसार • शोध पद्धतियॉ • प्राकृतिक संसाधनों का अर्थशास्त्र • सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी	• शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परम्परा –II • सामाजिक अनुसंधान का पद्धतिशास्त्र–II • भारत में ग्रामीण समाज–II • भारत में नगरीय समाज–II
तृतीय सेमेस्टर	**तृतीय सेमेस्टर**
• भारत में ग्रामीण विकास • विकास के लिये नियोजन • ग्रामीण वित एवं साख • सामुदायिक पोषण	• समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य • नातेदारी, विवाह और परिवार का समाजशास्त्र • भारतीय समाज और संस्कृति • अपराधशास्त्र
चतुर्थ सेमेस्टर	**चतुर्थ सेमेस्टर**
• महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक विकास • गैर सरकारी संगठन एवं ग्रामीण विकास • सूक्ष्म वित्त एवं उघमिता विकास • ग्रामीण विकास के लिये प्रोद्यौगिकी	• परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र • राजनीतिक समाजशास्त्र • समाजशास्त्रीय निबंध **वैकल्पिक विषय** I. ओद्यौगिकीय समाजशास्त्र II. सामाजिक जनांकिकीय

प्रवेश प्रकिया

म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार महाविद्यालय को ऑन लाइन प्रवेश से मुक्त रखा गया है। प्रवेश की सम्पूर्ण जानकारी महाविद्यालय से अथवा महाविद्यालय की वेब साईट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

स्नातक स्तर – स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु संबंधित संकाय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वी उत्तीर्ण को पात्रता है तथा पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को अस्थाई–प्रवेश की पात्रता होगी ।

स्नातकोत्तर – एम.ए. में प्रवेश हेतु किसी भी संकाय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण को पात्रता है।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज–

1. स्कूल/महाविद्यालय छोड़ने का मूल प्रमाण पत्र। (टी.सी.)
2. 10+2 एवं उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की प्रतिलिपि।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ आय, जाति, मूल निवासी, आधारकार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति करना अनिवार्य है। (छात्रवृत्ति की प्रकिया ऑनलाइन है अतः विद्यार्थी अपने स्तर पर यह प्रकिया कर सकेंगे।)
4. यदि विशेष गतिविधियों में भागीदारी हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसे– क्रीडा गतिविधि, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), एनसीसी, स्कॉउट्स गाइड, सांस्कृतिक बौद्धिक गतिविधियां आदि।
5. 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं एवं अजा/अजजा व अन्य पिछडा वर्ग की निर्धन छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर प्रवेश शुल्क कला संकाय प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23				
क.	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष राशि	द्वितीय वर्ष राशि	तृतीय वर्ष राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–			
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	0	0
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	0	0
	अ. योग–	**2000**	**0**	**0**
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क			
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200	200
3	वैकल्पिक विषय प्रायोगिक	1500	1500	1500
4	व्या. पाठ्यक्रम प्रायोगिक	–	–	1500
5	खेल कूद गतिविधियॉ	420	420	420
6	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200	1200
7	स्वास्थ्य बीमा	50	50	50
8	विकास शुल्क	3500	3500	3500
	ब. योग–	**8070**	**8070**	**9570**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–			
1	बुक बैंक	5	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	36	36	36
	स. योग–	**226**	**226**	**226**
	अ+ब+स कुल योग –	**10296**	**8376**	**9796**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–			
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	800	–	–
	योग –	**800**		
	अ+ब+स+द का महायोग –	**11096**	**8376**	**9796**

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिये 800/– रू. एवं तृतीय वर्ष के लिये 1000/– रू होगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(3) स्वशासी व्यवस्था मे परीक्षा शुल्क 1.बी.ए प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष 2500/– प्रति वर्ष ।

2..तृतीय वर्ष 2900/– प्रति वर्ष ।

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर प्रवेश शुल्क गृह विज्ञान संकाय प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23				
क.	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष राशि	द्वितीय वर्ष राशि	तृतीय वर्ष राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–			
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	0	0
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	0	0
	अ. योग–	**2000**	**0**	**0**
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क			
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200	200
3	वैकल्पिक विषय प्रायोगिक	1500	1500	1500
4	गृह विज्ञान प्रायोगिक	1500	1500	1500
5	व्या. पाठ्यक्रम प्रायोगिक	–	–	1500
6	खेल कूद गतिविधियॉ	500	500	500
7	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200	1200
8	स्वास्थ्य बीमा	50	50	50
9	विकास शुल्क	3500	3500	3500
	ब. योग–	**9650**	**9650**	**11150**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–			
1	बुक बैंक	5	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	36	36	36
	स. योग–	**226**	**226**	**226**
	अ+ब+स कुल योग –	**9876**	**9876**	**11376**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–			
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	800	–	–
	योग –	**800**		
	अ+ब+स+द का महायोग –	**10676**	**9876**	**11376**

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिये 800/– रू. एवं तृतीय वर्ष के लिये 1000/– रू होगा ।

(3) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(4) स्वशासी व्यवस्था मे परीक्षा शुल्क 1.बी.एच.एससी. प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष 2800/– प्रति वर्ष ।

2..तृतीय वर्ष 3100/– प्रति वर्ष ।

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर				
प्रवेश शुल्क वाणिज्य संकाय				
प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23				
क्र.	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष राशि	द्वितीय वर्ष राशि	तृतीय वर्ष राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–			
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	–	–
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	–	–
	अ. योग–	**2000**	**0**	–
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क			
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200	200
3	वैकल्पिक विषय प्रायोगिक	1500	1500	1500
4	खेल कूद गतिविधियॉ	420	420	420
5	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200	1200
6	स्वास्थ्य बीमा	50	50	50
7	विकास शुल्क	3500	3500	3500
	ब. योग–	**8070**	**8070**	**8070**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–			–
1	बुक बैंक	5	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	36	36	36
	स. योग–	**226**	**226**	**226**
	अ+ब+स कुल योग –	**10296**	**8296**	**8296**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–			
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	800	–	–
	योग –	**800**		
	अ+ब+स+द का महायोग –	**11096**	**8296**	8296

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिये 800/– रू. होगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(3) स्वशासी व्यवस्था मे परीक्षा शुल्क 1.बी.कॉम प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष 2500/– प्रति वर्ष ।
2..तृतीय वर्ष 3100/– प्रति वर्ष

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर				
प्रवेश शुल्क विज्ञान संकाय				
प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23				
क्र.	शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष राशि	द्वितीय वर्ष राशि	तृतीय वर्ष राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–			
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	–	–
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	–	–
	अ. योग–	**2000**	**0**	
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क			
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200	200
3	वैकल्पिक विषय प्रायोगिक	1500	1500	1500
4	विज्ञान प्रायोगिक	1500	1500	1500
5	खेल कूद गतिविधियॉ	420	420	420
6	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200	1200
7	स्वास्थ्य बीमा	50	50	50
8	विकास शुल्क	3500	3500	3500
	ब. योग–	**9570**	**9570**	**9570**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–			
1	बुक बैंक	5	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	36	36	36
	स. योग–	**226**	**226**	**226**
	अ+ब+स कुल योग –	**9796**	**9796**	**9796**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–			–
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	800	–	–
	योग –	**800**	–	–
	अ+ब+स+द का महायोग –	**10596**	**9796**	

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के लिये 800/– रू होगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(3) स्वशासी व्यवस्था में परीक्षा शुल्क 1.विज्ञान संकाय प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष 2800/– प्रति वर्ष । 2. विज्ञान संकाय तृतीय वर्ष 3100/–

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर प्रवेश शुल्क कला (प्रसार) संकाय स्नातकोत्तर			
प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23			
क.	शुल्क विवरण	पूर्वार्द्ध राशि	उत्तरार्द्ध राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–		
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	0
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	0
	अ. योग–	**2000**	**0**
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क		
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200
3	प्रसार कार्य प्रायोगिक	2000	2000
4	खेल कूद गतिविधियॉ	500	500
5	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200
6	स्वास्थ्य बीमा	50	50
7	विकास शुल्क	3500	3500
	ब. योग–	**8650**	**8650**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–		
1	बुक बैंक	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	60	60
	स. योग–	**250**	**250**
	अ+ब+स कुल योग –	**10900**	**8900**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–		
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	1000	–
	योग –	**1000**	
	अ+ब+स+द का महायोग –	**11900**	**8900**

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह स्नातकोत्तर के लिये 1000/– रू होगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(3) स्वशासी व्यवस्था मे परीक्षा शुल्क 1. एम.ए पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध 1900/– प्रति सेमेस्टर ।

कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर प्रवेश शुल्क कला (समाज शास्त्र) संकाय स्नातकोत्तर			
प्रवेश के समय लिया जाने वाला शुल्क वर्ष 2022–23			
क.	शुल्क विवरण	पूर्वार्द्ध राशि	उत्तरार्द्ध राशि
	अ– संस्था द्वारा लिए जाने वाले वापसी योग्य शुल्क–		
1	सुरक्षा निधि प्रथम वर्ष	1000	0
2	पुस्तकालय डिपॉजिट प्रथम वर्ष	1000	0
	अ. योग–	**2000**	**0**
	ब संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क		
1	प्रवेश शुल्क	1200	1200
2	पुस्तकालय शुल्क	200	200
3	खेल कूद गतिविधियॉ	500	500
4	सांस्कृतिक गतिविधि एवं स्नेह सम्मेलन	1200	1200
5	स्वास्थ्य बीमा	50	50
6	विकास शुल्क	3500	3500
	ब. योग–	**6650**	**6650**
	स–विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाले शुल्क–		
1	बुक बैंक	5	5
2	वि.वि. क्रीड़ा शुल्क	75	75
3	छात्र दुर्घटना फण्ड	30	30
4	छात्र दिव्यांग फण्ड	30	30
5	छात्र कल्याण संघ शुल्क	50	50
6	रेडक्रास शुल्क	60	60
	स. योग–	**250**	**250**
	अ+ब+स कुल योग –	**8900**	**6900**
	द–छात्रावास हेतु लिए जाने वाले शुल्क–		
1	निवास अग्रिम प्रथम वर्ष	1000	–
	योग –	**1000**	
	अ+ब+स+द का महायोग –	**9900**	**6900**

नोट :–

(1) निवास शुल्क प्रतिमाह स्नातकोत्तर के लिये 1000/– रू होगा ।

(2) प्रवेश निरस्त करवाने पर शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(3) स्वशासी व्यवस्था मे परीक्षा शुल्क 1. एम.ए पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध 1900/– प्रति सेमेस्टर ।

छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी–

विद्यार्थी की पात्रता एवं मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार महाविद्यालय में निम्नांकित छात्रवृत्तियां देय है।

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी

क.	योजना का नाम	आवेदक की पात्रता	लाभ राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
1	मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. 12वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत एवं सीबीएसई., आईसीएससी. से उत्तीर्ण होने पर न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक अर्जित किये हों। 3. पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख रू. से कम हो।	– राज्य शासन की सभी कॉलेज एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम. तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क का वहन राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।	– पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
2	मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	1. श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंठित कर्मकार की संतान हो। 2. शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हो।	– शैक्षणिक शुल्कों (कॉशन मनी एवं मेस शुल्क छोडकर) से पूर्ण छूट।	– पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
3	आवास सहायता योजना	1. विद्यार्थी शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो। 2. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 3. एक ही स्थानीय निकाय/नगरीय/ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न हो। 4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं। 5. विद्यार्थी किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेशित न हो।	– संभाग स्तर पर प्रति माह रू.2000.00 – जिला स्तर पर प्रति माह रू.1250.00 – विकासखण्ड स्तर पर प्रतिमाह रू. 1000.00(अधिकतम 12 माह के लिये)	– पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है। – निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा। – अनुत्तीर्ण तथा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिये अपात्र हो जायेंगे।
4	पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	1. आवेदक पिछडा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। 2. पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो। 4. माता/पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू.3 लाख से अधिक न हो।	प्रति माह निर्वहन भत्ता (रूपये में) कक्षा / छात्रावासी / गैर छात्रावासी स्नातक 400 230 स्नातकोत्तर 450 230 – अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापसी योग शुल्क की प्रतिपूर्ति	– पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। – स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।
5	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनुसूचित जाति वर्ग)	1. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। 2. अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रू. 6 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा न ही।	– व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति – शासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति। – अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रू. 2.5 लाख रू. की वार्षिक आय सीमा तक अनिवार्य शुल्क की एवं रू. 2.5 लाख से रू. 6 लाख तक आय सीमा तक के विद्यार्थीयों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रति पूर्ति की जाती है। – स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रतिमाह निर्वहन भत्ता गैर छात्रावासी रू.800 एवं छात्रावासी रू. 570	– पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in पर निर्धारित तिथि में आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

6	गाँव की बेटी	1. छात्रा गाँव की निवासी हो 2. गॉव में रहकर गॉव की पाठशाला से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। 3. शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	– रू.. 500 प्रति माह की दर से दस माह की राशि 5 हजार प्रति वर्ष ।	– निर्धारित तिथियों में प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। – स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। – यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
7	प्रतिभा किरण	– छात्रा शहर की निवासी हो। – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो। – शहर में रहकर शहर की पाठशाला की 12वी कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। – शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।	– रू. 500 प्रति माह की दर से दस माह की राशि 5 हजार प्रति वर्ष ।	– निर्धारित तिथियों में प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। – स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। – स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। – यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
8	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	– आवेदन म.प्र. का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो। – आवेदक के माता–पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख रू. से अधिक न हो। – अंतिम वर्ष की परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हो।	– स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु अधिकतम रू.3000/– प्रति वर्ष प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क दिये जाने का प्रावधान है।	– आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

विभागीय जानकारी

1. परीक्षा विभाग

- स्वशासी परीक्षा प्रणाली
- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन
- समय पर परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम

महाविद्यालयीन परीक्षा – प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली आंतरिक परीक्षाओं में समय अनुसार उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित होने पर पुनः अवसर नहीं मिलेगा। जो छात्राएं महाविद्यालयीन आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में अनुपस्थित रहेगी उन्हें बाह्य परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं रहेगी। महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर या गंभीर बीमारी होने पर आंतरिक मूल्यांकन का अतिरिक्त आयोजन परीक्षा नियंत्रण समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।

यह संस्था एक स्वशासी महाविद्यालय है, अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार इसके सभी विषयों के पाठ्यक्रम संस्था की अध्ययन परिषद द्वारा तैयार किये हैं। ग्रामीण विकास एवं प्रसार विषय इस महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रा के लिए प्रतिवर्ष अनिवार्य है। इन्ही कारणों से छात्रा को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम इसी संस्था में पूरा करना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में छात्रा यदि महाविद्यालय छोड़कर जाती है तो अन्यत्र

यह व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रा का हित प्रभावित हो सकता है। इसमें संस्था का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

शैक्षणिक सत्र में छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें स्वाध्यायी छात्रा के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं स्वाध्यायी छात्राओं हेतु बने हुए नियमों का पालन करना होगा।

स्नातक उपाधि अधिकतम 5 वर्ष एवं स्नातकोत्तर उपाधि अधिकतम 3 वर्ष में पूर्ण कर लेना नियमानुसार आवश्यक है।

2. प्रसार विभाग –

प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी दैनिक समस्याओं से है। प्रसार शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा है जो ''लैब टू लैंड'' के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसार के माध्यम से नई–नई जानकारियां, नई तकनीक, नई खोज, नये उत्पादनों एवं बेहतर कार्य प्रणालियों जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां ग्रामीण लोगों तक पहुँचती है। प्रसार कार्य व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करता है। मनुष्य को प्रगति पथ पर निरंतर आगे ले जाना ही प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास एवं प्रसार विषय कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट में पढाया जाने वाला अनिवार्य एवं मुख्य विषय है। इस विषय को इस संस्था का आधार या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। व्यवहारिक कार्यानुभव हेतु छात्राएं अंगीकृत गांवों में प्रसार कार्य करती है।

3. पुस्तकालय एवं वाचनालय –

- गांधी साहित्य
- पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकें
- सामान्य ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पुस्तकें
- महापुरूषों के जीवन कृतित्व संबंधी पुस्तकें

4. प्रयोगशालाएं–

- बाल विकास प्रयोगशाला
- गृह प्रबंध प्रयोगशाला
- आहार एवं पोषण प्रयोगशाला
- परिधान एवं वस्त्र विज्ञान प्रयोगशाला
- भौतिकी प्रयोगशाला
- जीवविज्ञान प्रयोगशाला
- रसायनशास्त्र प्रयोगशाला
- कम्प्यूटर प्रयोगशाला
- डेयरी विज्ञान प्रयोगशाला

- शारीरिक शिक्षा एवं योग प्रयोगशाला
- कताई प्रयोगशाला
- ग्रामीण विकास एवं प्रसार प्रयोगशाला

5. राष्ट्रीय सेवा योजना –

राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है ''समाज सेवा के माध्यम सें का व्यक्तित्व विकास'' तथा इसका लक्ष्य है ''शिक्षा के द्वारा समाज सेवा एवं समाज सेवा द्वारा शिक्षा।'' सामान्यतः एक स्वयंसेवक योजना में कम से कम 2 वर्ष तक रहकर गतिविधियों में भाग लेता है। वर्षभर महाविद्यालय एवं गोद/बस्ती में नियमित गतिविधि आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष चयनित गोद ग्राम/बस्ती में 07 दिवसीय पूर्णकालीन शिविर आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दिवा शिविर भी आयोजित किये जाते हैं।

6. कीडा गतिविधि –

छात्राओं के शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु इस संस्था में इनडोर एवं आउटडोर खेल व्यवस्था उपलब्ध है। संस्था में बेडमिंटन, टेबल टेनिस, खो–खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबाल, एथलेटिक्स खेल हेतु समस्त व्यवस्था के साथ योग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वैकल्पिक विषय के अंतर्गत छात्राएं शारीरिक शिक्षा विषय का चयन एवं अध्ययन कर सकती है।

संस्था संबंधी नियम

महाविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम

1. छात्राओं की प्रगति के लिये उनका अन्य छात्राओं के साथ परस्पर व्यवहार शिष्ट तथा अच्छा होना चाहिये।
2. यदि छात्रा महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करती है, कक्षाओं का बहिष्कार करती है, अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करती है जिसका प्रभाव अन्य छात्राओं पर हानिकारक पड़ता है तो अनुशासन समिति छात्रा को महाविद्यालय छोड़ने का आदेश दे सकती है।
3. छात्राओं को संस्था के नियमों का पालन करना होगा। निर्धारित प्रमाणित खादी गणवेश (युनिफार्म) पहनना आवश्यक है।

// छात्रावास के नियम //

1. प्रत्येक छात्रावासी छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान की गरिमा को बनाये रखे व छात्रावास के नियमों का पालन करें।
2. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
3. छात्रावास में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देना होगी। आवेदन में दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन जैसे दूरभाष नंबर या पते में परिवर्तन होता है तो इसकी लिखित सूचना छात्रावास प्रबंधक समिति को देना आवश्यक है।
4. छात्रावास का जीवन स्वावलम्बी एवं सामुदायिक है। छात्राओं को सामूहिक प्रार्थना कताई एवं सफाई आदि में भाग लेना आवश्यक है।
5. प्रत्येक छात्रावासी छात्रा को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है।
6. भोजन शाकाहारी होगा एवं सभी छात्राएं अपना भोजन भोजनालय में ही करेंगी। विशिष्ट परिस्थितियों में वार्डन की सहमति से अपने कमरे में भोजन ले जाने की अनुमति होगी। भोजन शुल्क में छूट केवल दीपावली एवं ग्रीष्मकालीन या दी गई छुट्टियों में ही होगी। यह छुट्टियों की घोषित अवधि के लिये ही होगी। छात्रा की अनुपस्थिति अवधि के लिए नहीं। अस्वीकृत अवकाश में छात्राओं को मेस शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा।
7. छात्रावास व्यवस्था शुल्क पूरे वर्ष का 30 जून तक जमा करना होगा।
8. बिना पूर्व अनुमति के लगातार 15 दिन छात्रावास से अनुपस्थित रहने पर छात्रावास प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
9. सत्र के घोषित अवकाश के लिए क.गा.रा.स्मा. ट्रस्ट एवं महाविद्यालय का अपना कैलेण्डर तैयार किया जाता है। प्रवेश के समय अभिभावक छुट्टियों की जानकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रावास अनुशासन बनाए रखने में अभिभावकों का सहयोग अपेक्षित है।
10. छात्राओं को छात्रावास व्यवस्था में बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन छात्राओं को शाम 7:00 बजे तक वापस आना होगा।
11. छात्रावासी विद्यार्थियों से मिलने का नियमित समय रविवार प्रातः 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगा। अन्य समय या दिन में आवश्यक परिस्थिति होने पर प्राचार्य या वार्डन से संपर्क करना होगा।
12. सभी छात्राएं बाहर जाते–आते समय छात्रावास रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेंगी एवं बिना अनुमति छात्रावास से नहीं जायेंगी। अनाधिकृत रूप से परिसर छोडने पर अनुशासन समिति के द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी।
13. छात्राएं अपने साथ गहने व बहुमूल्य वस्तुएं न लाएं। बहुमूल्य वस्तु खो जाने पर संस्था उत्तरदायी नही होगी।
14. प्रत्येक छात्रा प्रवेश के समय निम्नलिखित सामान साथ में लायें – थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास या मग, लोटा, बाल्टी, खुरपी, बिस्तर एवं टार्च।

15. छात्रावास में विद्यार्थी को पलंग, टेबल, कुर्सी, पंखा व अलमारी की सुविधॉ उपलब्ध कराई जावेगी।
16. विद्यार्थी को एक शैक्षणिक सत्र हेतु किये गये आवंटित कक्ष में सामान्यतः बदलाव नही किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति से कक्ष परिवर्तन किया जा सकेगा।
17. यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास के नियमों के विरूद्ध या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना छात्रावास में निवासरत् पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
18. वार्षिक परीक्षा समाप्ति के पश्चात् छुट्टियों के दौरान विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य, कोर्स वर्क इत्यादि हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति से छात्रावास में निवास कर सकते हैं।
19. छात्रावास व आस–पास के परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। किसी भी प्रकार के पोस्टर इत्यादि परिसर की दीवारों पर न लगायें।
20. छात्रावास में निवास से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिये छात्रावास प्रबंधक को सूचित करें।
21. छात्रावास में आवंटित कक्ष के सामान की टूट–फूट की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। सामान के टूट–फूट होने की स्थिति में उसकी मरम्मत की लागत स्वयं विद्यार्थी को वहन करनी होगी।
22. विद्युत उपकरणों का अनाधिकृत उपयोग या उनके निर्धारित प्रयोग में परिवर्तन न करें। यदि विद्यार्थी अवकाश लेकर बाहर जाते हैं तो अपने कक्ष के विद्युत उपकरणों को ध्यानपूर्वक बंद करें। विद्युत उपकरण चालू पाये जाने की स्थिति में पेनल्टी शुल्क लिया जायेगा।
23. छात्रावास में विद्युत उपकरणों जैसे – इलेक्ट्रिक हीटर, स्टोव, आडियो–वीडियो यंत्रों के उपयोग की सख्त मनाही है यदि ऐसा पाया जाता है तो इसका दण्ड शुल्क लिया जायेगा।
24. महाविद्यालय व छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः निषेध है। रैगिंग एक वैधानिक अपराध है।
25. यदि किसी विद्यार्थी के साथ रैगिंग समतुल्य व्यवहार किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को तुरंत सूचित करें।
26. यू.जी.सी. नियमांतर्गत सभी सीनियर विद्यार्थी, छात्रावासी व गैर–छात्रावासी विद्यार्थियों को एण्टी–रैगिंग घोषणा पत्र भरकर अनिवार्यतः देना होगा।
27. छात्रावासी छात्रा को किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल नही होना चाहिए।
28. छात्रावासी विद्यार्थियों को परिसर से बाहर जाने के लिए होस्टल वार्डन की अनुमति लेना अनिवार्य है साथ ही परिसर में आते–जाते समय मुख्य द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर में इंट्री करना अनिवार्य है।
29. छात्रावासी विद्यार्थी के किसी भी बाहरी व्यक्ति या पालक के छात्रावास में रहने की अनुमति नही है। रहने वाले व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही एवं रखने वाले छात्रावासी

अनुशासन समिति की कार्यवाही एवं दंड, जिसके अंतर्गत निष्कासन भी है, के पात्र होंगे।

उपरोक्त छात्रावास के नियमों में संस्था के विवेकानुसार बदलाव किया जा सकता है।

महाविद्यालयीन शिक्षक वर्ग

क.	नाम	पदनाम	विषय
1	डॉ. शैलबाला गांधी	प्राचार्य	समाजशास्त्र
2	डॉ. पूनम कौशिक	क्रीडा अधिकारी	शारीरिक शिक्षा
3	डॉ. इंदुबाला मालवीय	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी
4	डॉ. कीर्ति यादव	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र
5	डॉ. विजय सोलंकी	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी
6	श्री गोविंद नागोर	सहायक प्राध्यापक	प्रसार
7	श्री मधुसिंह सोलंकी	ग्रंथपाल	——

कार्यालयीन कर्मचारी वर्ग

क.	नाम	पदनाम
1	श्री महेश लक्षकार	**लेखापाल/परीक्षा नियंत्रक**
2	श्री राजेश पूरे	प्रयोगशाला तकनीशियन
3	श्रीमती बसंती सुल्या	प्रयोगशाला तकनीशियन
4	सुश्री मेघा वर्मा	प्रयोगशाला तकनीशियन
5	श्रीमती पद्मिनी शर्मा	लिपिक
6	श्री ध्रुव मीणा	कम्प्यूटर ऑपरेटर (परीक्षा विभाग)
7.	श्री भगवानदास भावसार	प्रयोगशाला परिचारक
8	श्रीमती ललिता रावते	प्रयोगशाला परिचारक
9	श्री अभय घावरी	वाहन चालक
10	श्री भागीरथ शुक्ला	चौकीदार
11	श्री मनीष चौधरी	माली
12	श्री रूपेश आमोदे	भृत्य
छात्रावास कर्मचारी –		
1	श्रीमती उर्मिला मिश्रा	मैट्रन

आचरण संहिता

1. प्रत्येक छात्रा अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अध्ययन पर लगावें। महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में भी छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय की सम्पत्ति जैसे – भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, आदि की शांति व्यवस्था सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक छात्रा रूचि लेंगी और उन्हें कायम रखने और सुधारने में सहायता देंगी। इसके विपरीत किसी भी प्रवृति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नही लेंगी।
3. प्रत्येक छात्रा अपने सहपाठियों और शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेंगी।
4. छात्राओं को सरल एवं मितव्ययी जीवन ही बिताना होगा। संस्था में प्रमाणित खादी पहनना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक कक्षा हेतु टीचर गाईड निर्धारित है। छात्राओं को यदि कोई कठिनाई हो तो प्राध्यापक, अधीक्षिका अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। आंदोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई का हल करने का मार्ग छात्रा नही अपनायेगी।
6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति के अनुसार छात्रा को अनुशासित होना चाहिये।
7. छात्राओं को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिकतामूल या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे, परंतु यदि ऐसा हुआ तो उनका नाम तत्काल महाविद्यालय से हटा दिया जायेगा।
8. छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी समस्त छात्राओं पर संस्था के समस्त नियम समान रूप से लागू हैं।

नोटः– यदि विवरण पुस्तिका के नियम मान्य हों तो ही संस्था में प्रवेश लें। इसे प्रवेश आवेदन पत्र के सांथ जमा करें।

पालक के हस्ताक्षर

छात्रा के हस्ताक्षर

पालक का नामः .....

छात्रा का नाम :.....

मोबाईल नं. : .....

मोबाईल नं. : .....